षोडश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-12.02.2019 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री श्याम रजक, स०वि०स० श्री लाल बाबू राम, स०वि०स० श्री निरंजन राम, स०वि०स० श्री ललन पासवान, स०वि०स० श्री प्रभुनाथ प्रसाद, स०वि०स० श्री राजेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री उपेन्द्र पासवान, स०वि०स० श्री रत्नेश सादा, स०वि०स० श्री राजेश कुमार, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-222) श्रीमती समता देवी, स०वि०स० श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, स०वि०स०	''सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-9706, दिनांक-20.07.2018 की कंडिका-5 (III) में स्पष्ट प्रावधान है कि सभी प्रोन्नतियाँ मूल कोटि के वरीयता के स्थान पर फीडर कैडर की वरीयता के आधार पर देय होगी, तत्संबंधी विभागों द्वारा सूची प्रकाशित की गयी है । लेकिन पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने हीं बनाये वरीयता सूची को नजरअंदाज कर अनुसूचित जाति / जन जाति के वरीयतम पदाधिकारियों को छोड़कर अपेक्षाकृत कनिष्ठों (सामान्य श्रेणी) को प्रोन्नति दी गयी है । इससे अनुसूचित जाति / जन जाति के पदाधिकारी प्रोन्नति के लाभ से वंचित हो गये हैं । अतएव संकल्प के विपरीत दी गयी प्रोन्नतियों को रद्द कर अनुसूचित जाति / जन जाति के पदाधिकारियों को प्रोन्नत करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	पथ निर्माण / ग्रामीण कार्य

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स० श्री भोला यादव, स०वि०स० श्री अख़तरूल इस्लाम शाहीन, स०वि०स० श्री विजय प्रकाश, स०वि०स०	''वर्ष 2011-12 में STET परीक्षा उत्तीर्ण हुए एवं 2016 में पंचम चरण शिक्षक नियोजन में बिहार के विभिन्न जिलों के उत्क्रमित विद्यालयों की रिक्ति नहीं जोड़ने के कारण अभ्यर्थी नियोजन से वंचित रह गये । राज्य में लगभग 5700 उत्क्रमित माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय बिना शिक्षक के चल रहे है जबकि उत्क्रमित होने के साथ ही उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण पठन-पाठन में दिक्कत आ रही है साथ ही परीक्षाफल गिरता जा रहा है । वर्ष 2011-12 में उत्तीर्ण STET प्रमाण पत्र की वैधता तथा अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्ति पर है । अतः वर्ष 2011-12 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के STET प्रमाण-पत्र की वैधता की समायावधि बढ़ाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	शिक्षा

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-01/19- 200 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 फरवरी, 2019 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/2/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-01/19- 200 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 फरवरी, 2019 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

11/2/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।